राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 5(प)(14)एसीटीएडी/माडा/275(1)बा.छा.जैसलमेर/2020/ दिनांक–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन
मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र.),
जैसलमेर।

विषय– जनजाति छात्राओं हेतु श्रीमति किसनी देवी मगनी राम मोहता रा.बा.उ.मा.वि., जैसलमेर परिसर में जनजाति बालिका छात्रावास हेतु भवन मरम्मत की प्रशासनिक स्वीकृति।

संदर्भ– जिला परिषद, जैसलमेर का पत्रांक– 4495 दिनांक 07.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन से एन/46 पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जनजाति छात्राओं हेतु श्रीमति किसनी देवी मगनी राम मोहता रा.बा.उ.मा.वि., जैसलमेर को जनजाति बालिका छात्रावास हेतु भवन मरम्मत की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है एवं कार्यकारी एजेन्सी नगर विकास प्रन्यास, जैसलमेर को नियुक्त किया जाता है–

(राशि लाख रू.)

क्र.सं.	जिला	कार्य का नाम एवं स्थान	राशि
		3	7
1	जैसलमेर	श्रीमति किसनी देवी मगनी राम मोहता रा.बा.उ.मा.वि., जैसलमेर को जनजाति बालिका छात्रावास हेतु भवन की मरम्मत	40.00

विस्तृत तकमिना, Photograph, T.S with तकनिकी नोट कार्यकरी एजेन्सी से प्राप्त कर भिजवावें। तकमिने में फर्नीचर (क्षमता 50) हेतु पलंग, आलमारी, बिस्तर सेट, मैस हेतु आवश्यक सामग्री यथा बर्तन, गैस आदि सम्मिलित करावें।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही गुणवत्तापूर्ण किया जावे। स्वीकृत कार्यो का आपके विभाग में प्रचलित गाईड लाईन अनुसार third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
3. कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
4. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए संबंधित एजेन्सी उत्तरदायी रहेगी।
5. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावे।

भवदीय,
//
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

क्रमांक– एफ 5(प)(14)एसीटीएडी/माडा/275(1)बा.छा.जैसलमेर/2020/ 1-10 दिनांक– 01/01/2021

प्रतिलिपी–

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.– जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.– जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
4. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, जैसलमेर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
6. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
7. माडा मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)